अगला एजेण्डा

जम्मू-कश्मीरसे अनुच्छेद ३७० हटाये जानेके बाद केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंहका एक ताजा बयान अत्यन्त ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीकी सरकारकी भावी रणनीतिको स्पष्ट करता है। मोदी सरकारके दूसरे कार्यकालके सौ दिन पूरे होनेपर उपलब्धियोंका उल्लेख करते हुए जितेन्द्र सिंहने स्पष्टत: कहा कि हमारा अगला एजेण्डा पाकिस्तानके कब्जेवाले कश्मीरको भारतका अभिन्न हिस्सा बनाना है। उन्होंने यह भी कहा कि यह केवल मेरी या हमारी पार्टीकी प्रतिबद्धता नहीं है, बल्कि यह १९९४ में तत्कालीन पी.वी. नरसिंह रावके नेतृत्ववाली कांग्रेस सरकारकी ओरसे संसदमें सर्वसम्मतिसे पारित संकल्प है। यह एक स्वीकार्य रुख है। जितेन्द्र सिंहने पाकिस्तानके कब्जेवाले कश्मीरके बारेमें जो बातें कही है, वह वर्तमान सन्दर्भमें महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दा है। यह भारतका हिस्सा है, जिसे पाकिस्तानके विदेशमंत्री शाह महमूद कुरैशीने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदकी मंगलवारको हुई बैठकमें अपने भाषणके दौरान स्वीकार भी किया है। सत्य बात कुरैशीकी जबानपर आना सहज और स्वाभाविक है, अब इसे साकार किया जाना चाहिए। चूंकि नरसिंह रावकी सरकारके दौरान यह संसदमें सर्वसम्मतिसे पारित संकल्प है, इसलिए सभी राजनीतिक दलोंका नैतिक दायित्व बनता है कि वे पूरी मजबूतीसे केन्द्र सरकारके भावी एजेण्डेके साथ खड़े रहें। इसपर किसी प्रकारकी राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्रके स्वाभिमानका विषय है। पाकिस्तानके अवैध कब्जेवाले कश्मीरकी जनता भी पाकिस्तान सरकारके कुशासनसे मुक्त होना चाहती है। इस जन-भावनाका सम्मान होना चाहिए। जितेन्द्र सिंहने जम्मू-कश्मीरसे अनुच्छेद ३७० हटाये जानेपर पाकिस्तानकी प्रतिक्रिया और उसके प्रलापको अर्थहीन बताया और कहा कि इस मामलेमें विश्वका रुख भारतके अनुकूल है। कुछ देश, जो भारतके रुखसे सहमत नहीं थे, अब वे भी हमारे रुखसे सहमत हैं। कश्मीरकी जनता मिलनेवाले लाभसे अत्यन्त प्रसन्न है और वहांकी स्थितियां भी तेजीसे सामान्य हो रही हैं।

पीड़ितों को राहत

उत्तर प्रदेशमें योगी आदित्यनाथकी सरकारने भीड़ हिंसा, दुष्कर्म और तेजाब हमलेके पीड़ितोंको अन्तरिम मुआवजा देनेका निर्णय कर उचित और राहतकारी कदम उठाया है। मंगलवारको राज्य मंत्रिमण्डलकी बैठकमें ऐसे सभी मामलोंमें प्रारम्भिक जांचके बाद जिलाधिकारीकी संस्तुतिपर २५ प्रतिशततक अन्तरिम मुआवजा देनेका निर्णय किया गया है। अभीतक अंतरिम मुआवजेकी कोई व्यवस्था नहीं थी, इस दृष्टिसे राज्य सरकारका यह निर्णय प्रशंसनीय और अन्य राज्योंके लिए अनुकरणीय है। सर्वोच्च न्यायालयने तहसीन एस. पूनावाला बनाम केन्द्र सरकार और अन्य मामलेमें ऐसा ही करनेका फैसला दिया था। प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयके फैसलेके अनुपालनकी दृष्टिसे अंतरिम मुआवजा देनेकी व्यवस्था की है। ऐसे सभी अपराधोंका वर्गीकरण किया गया है जिसके आधारपर मुआवजा देनेका प्रावधान किया गया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश क्षतिपूर्ण योजना-२०१४ यथा संशोधित-२०१६ में संशोधन किया गया है। दुष्कर्म पीड़ितके लिए दो लाख रुपये, मानसिक संतापपर एक लाख, भीड़ हिंसापर परिवारके गैर-कमानेवालेकी मृत्युपर डेढ़ लाख और कमानेवाले सदस्यकी मृत्युपर दो लाख रुपये निर्धारित है। राज्य सरकारके इस निर्णयसे पीड़ितोंको बड़ी राहत मिलेगी लेकिन इसकी व्यवस्था भी आवश्यक है कि प्रारम्भिक जांचमें शीघ्रता बरती जाय जिससे कि जिलाधिकारी भी शीघ्रतासे संस्तुति कर सकें। ऐसा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पीड़ितोंके परिवारको तत्काल आर्थिक सहायताकी जरूरत पड़ती है। मुआवजाका भुगतान सरकारकी ओरसे होता है इसलिए ऐसे जघन्य अपराधोंके आरोपियोंपर इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता है। अत: ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए कि आरोपियोंपर तत्काल जुर्माना लगाया जा सके। यदि आरोपी दोषी सिद्ध होते हैं तो उनकी जुर्माना राशि जब्त कर ली जाय और निर्दोष होनेपर सम्बन्धित व्यक्तिको जुर्माना राशि लौटा दी जाय। इससे अपराधियोंमें भी भय उत्पन्न होगा।

लोक संवाद

निजी अस्पतालों के मूल्य नियन्त्रित हो

महोदय,-अपने पत्रके माध्यमसे मैं आपका ध्यान निजी अस्पतालोंमें इलाजके नामपर होनेवाली लूटकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। स्वस्थ जीवनके लिए हर किसीको कभी न कभी चिकित्सकोंकी शरणमें जाना ही होता है। कभी-कभी गम्भीर हालतमें सरकारी या निजी अस्पतालमें भर्ती भी होना पड़ता है। बेहतर इलाज या सुविधाके नामपर आजकल हर कोई निजी अस्पताल जाना ज्यादा पसन्द करता है। निजी अस्पताल निश्चित रूपसे सुविधा उपलब्ध करा ही देते हैं, लेकिन इसके पीछे इन निजी अस्पतालोंमें पैसा लूटनेकी होड़-सी मची हुई है। अच्छे इलाजकी आसमें आर्थिक शोषण होता है। पहले तो मरीजको गम्भीर बताकर आईसीयूमें भर्ती किया जाता है और थोड़ी ही देर बाद बहुत ज्यादा गम्भीर बताकर वेण्टिलेटरपर रखनेका दबाव बनाते हैं। मरीजकी जान बचानेके लिए परिजन अस्पतालकी हर बात माननेको मजबूर हो जाते हैं। फिर शुरू होता है, आर्थिक शोषणका खेल। मंहगीसे मंहगी दवाएं और सामान्यसे तीन गुनी महंगी दरके जांचके पर्चे परिजनोंको भेजे जाते हैं तथा अस्पतालके अन्दरसे ही दवाई या जांच करानेको बाध्य किया जाता है। ऐसी स्थितिमें सरकारको चाहिए कि जिस प्रकार जीवन रक्षक दवाओंके मूल्य नियन्त्रित करती है, ठीक उसी प्रकार निजी अस्पतालोंमें बेड या प्राइवेट कमरेका शुल्क, आईसीयू, वेण्टिलेटर, बाहरी डाक्टरका विजिटिंग चार्ज और जांचके शुल्क खुद निर्धारित करके कड़ाईसे उसका पालन कराये तथा दवाईयोंमें छूट या कहीं भी बाहरसे लानेकी छूट होनी चाहिए, ताकि मरीज तथा उनके परिजन सरलतासे अपना इलाज उचित मूल्यपर करा सकें। जिस तरहसे सरकारने दवाईओंके अनियन्त्रित मूल्यको नियन्त्रित करके आम जनताको दवाई कम्पनियोंके चंगुलसे बाहर निकालनेकी सकारात्मक पहल की, उसी तरह अब निजी अस्पतालोंमें भी हर चीजके मूल्य नियन्त्रित करके आम जनताको फायदा पंहुचाया जाय। -अभिषेक मिश्र, कानपुर।

नये ट्रैफिक नियम से बढ़ी मुश्किलें

भारतमें प्रति वर्ष लाखों लोगोंकी मृत्यु सड़क दुर्घटनामें होती हैं। बड़ी वजह ट्रैफिक नियमोंका ज्ञान न होनेके साथ खतरनाक ड्राइविंगको माना जा सकता हैं। विश्व स्वास्थ्य संघटनकी २०१८ की रिपोर्ट भी कहती हैं कि विश्वमें सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं भारतमें ही होती हैं। यहांतक कि चीन भी इस मामलेमें पीछे हैं।

❒ सुशील कुमार सिंह

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भी २०१७ की रिपोर्ट भी यह पुष्टि करती हैं कि सड़क कानूनोंकी सही नीयतसे लागू कर लाखोंकी जान बचायी जा सकती हैं। रिपोर्टके मुताबिक हर साल लगभग पांच लाखसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें लाखों बेमौत मारे जाते हैं ताजा आंकड़ा इससे भी ज्यादा हैं। लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं और उनके परिणाम स्वरूप होनेवाले मौतोंको रोकनेके लिए सरकारने १६ जुलाईको मोटर ह्वीकल संशोधन विधेयक लोकसभामें पेश किया। जिसका मुख्य उद्देश्य नियमोंको कड़ा बनाना तथा इसके लिए केन्द्र सरकारको अधिक अधिकार देना शामिल रहा है। साथ ही इस अधिनियममें उन तमाम पहलुओंको भी समेटा गया हैं जिनकी वजहसे सड़क दुर्घटनाओंकी आशंका बढ़ती हैं जैसे कि घटिया सड़क बनानेवाले ठेकदारों एवं निम्नस्तरीय कलपुर्जोंका इतेमाल करनेवाले वाहन निर्माता। नये मोटर ह्वीकल एक्टमें जुर्मानेकी राशिको छोड़ दिया जाये तो यह परिवहन और ट्रैफिकके क्षेत्रमें किया गया क्रान्तिकारी बदलाव हैं। इससे न केवल सड़कपर अनुशासनका विकास होगा, बल्कि चालकोंमें भी नियम पालनका भाव विकसित होगा भारी-भरकम राशि जो नियम उल्लंघनकी स्थितिमें तय की गयी हैं वह वाकईमें माथेमें बल डालते हैं। हालंकि इसे लेकर यह भी उम्मीद जतायी जा रही हैं कि दुर्घटनाएं रुकेंगी परन्तु इसका पता तो कुछ समय बाद ही चलेगा।

नया ह्वीकल एक्ट बीते १ सितम्बरसे पूरे देशमें लागू हो गया जिसमें जुर्मानेकी राशि कई मामलोंमें दस गुनातक कर दी गयी हैं। इस उम्मीदमें कि आर्थिक दबावके चलते वाहन चालक होशोहवासमें रहेंगे और दुर्घटनाएं थमेंगी। हालांकि मध्यप्रदेश और पंजाब जैसे राज्य अभी इसे नहीं लागू करनेका फैसला किया हैं। इसके पीछे जुर्मानेकी राशिका अधिक होना भी हो सकता हैं साथ ही यह दोनों राज्य भाजपा शासित नहीं हैं। दस गुना चालानके पीछे तर्क हैं कि इससे वाहन चालाक सड़कपर अनुशासनमें रहेंगे ही साथ ही ट्रैफिक नियमोंका पालन करनेके लिए भी बाध्य होंगे परिणामस्वरूप सड़क दुर्घटनाएं भी घटेगी। गौरतलब है कि नये नियममें आर्थिक दृष्टिसे कहीं अधिक सक्त बनाये गये हैं। चूंकि जुर्मानेकी राशि भारी पैमानेपर हैं ऐसेमें कईयोंकी गलतियां उनके भौतिक जीवनको बुरी तरह प्रभावित कर रही है। यह आरोप पूरी तरह समुचित नहीं कि सरकारने मनमाने ढंगसे अपनी वित्तीय शक्ति बढ़ानेके लिए वाहन चालकोंसे उगाही करनेका मन बनाया हैं। परन्तु भारी-भरकम जुर्माना यह सवाल जरूर खड़ा करता हैं कि बिना सड़क और ट्रैफिक जागरूकता फैलाये ऐसे फैसले कइयोंके लिए मुसीबतका सबब बन सकते हैं। देशके कई हिस्सोंसे यह खबर है कि वाहन चालकोंको भारी-भरकम जुर्मानेका सामना करना पड़ रहा हैं जिसके चलते प्रशासन और जनताके बीच समन्वय और संबंध अब आक्रोशका रूप ले रहा हैं। वैसे भी देशमें हर चौथा व्यक्ति गरीबी रेखाके नीचे हैं और इतना ही अशिक्षित भी। इतना ही नहीं, जहां गरीबोंको रसोई गैसके सेलेण्डर करोडोंकी संख्यामें मुफ्त दिये जाते हो और गेंहू-चावाल भी सस्ते दरोंपर उपलब्ध कराये जाते हो उन्हींकी सड़कपर चलनेवाली एक गलती दस गुने चालानकी चपेटमें ले सकती हैं और उनके जीवनको तहस-नहस कर रही है। हालंकि अमीर हो या गरीब नियमका पालन सभीके लिए आवश्यक हैं।

अब यह भी समझना सही रहेगा कि नये मोटर ह्वीकल संशोधन एक्टमें जुमानेकी राशि कहां कितनी और किसी पैमानेपर तय की गयी हैं। इसकी शुरुआत वहांसे करते हैं जहां वाहन चलानेका अधिकार ही प्राप्त नहीं हैं। गौरतलब हैं कि नाबालिगके गाड़ी चलानेपर जुर्माना २५ हजार है, जो बहुत भारी दण्ड है। साथ ही गाड़ीका रजिस्ट्रेशन भी रद हो जायेगा और उसका ड्राइविंग लाइसेंस २५ सालतक नहीं बनेगा। जाहिर हैं कि यहां कोई एतराज नहीं होना चाहिए। बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चालकोंसे अब पांच सौसे १५ सौ रुपयेके बीच वसूली की जायेगी जो पहले एक सौसे तीन सौ रुपयेके बीच था। यदि यही वाहन तीन सवारियोंसे युक्त होगी और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा तो पांच-पांच हजार रुपयेका अतिरिक्त जुर्माना वसूला जायेगा। गाड़ी चलाते समय फोनपर बात करना और खतरनाक ड्राइविंगके लिए जुर्मानेकी राशि भी एक हजारसे पांच हजार कर दी गयी हैं। गलत दिशामें ड्राइविंग करनेपर अब ११ सौके बजाय पांच हजार देने होगें। रेड लाइट जम्प करनेकी स्थितिमें जुर्माना पहले एक सौ रुपये था अब वह दस हजार कर दिया गया हैं। बिना सीट बेल्ट और शराब पीकर गाड़ी चलानेपर जुर्मानेकी राशिपर भी भारी-भरकम वृद्धि कर दी गयी हैं। इमरजेंसी गाडियां मसलन एम्बुलेंस और दमकलको साइड न देनेपर जुर्मानेकी राशि दस हजार निश्चित की गयी हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे ट्रैफिक नियम हैं जिसपर जुर्मानेकी राशि आसमान छू रही हैं।

सरकारका इरादा भले ही भारी-भरकम जुर्मानेके चलते वाहन चालाकोंको पटरीपर लानेका हो परन्तु बिना सड़क और ट्रैफिक व्यवस्थाको दुरुस्त किये केवल उगाहीपर जोर देना कई सवाल खड़े करता हैं। सवाल यह भी है कि क्या पहले लगाये गये जुर्मानेकी राशि कम थी या फिर वाहन चालकोंमें जागरूकताका आभाव था जो अब अधिक जुर्मानेके कारण समस्या हल हो जायेगी। अवधरणा यह है कि अधिक जुर्माना वाहन चालाकोंमें अधिक डरका प्रवेश करायेगा। फलस्वरूप नियमोंका पालन करनेके प्रति वह आतुर होंगे परन्तु इसे जनतापर थोपी गयी मात्र एकतरफा जिम्मेदारी ही कही जायेगी। जब जुर्माना इतना अधिक है कि इसकी भरपाई करनेवालेकी बुनियाद हिल जाय तो फिर ऐसेमें सड़कसे लेकर लाल बत्ती और डिवाइडरसे लेकर पैदल चलनेतकके मार्गके साथ सड़क पार करनेको लेकर दी जानेवाली सुरक्षाके प्रति क्या सरकारकी जिम्मेदारी नहीं हैं। बेशक सरकार सड़क परिवहनसे लेकर ट्रैफिक दुरुस्त करनेके लिए जिम्मेदार हैं परन्तु इस नियमको लागू करनेसे पहले क्या एकसे तीन महीने जागरूकता अभियान नहीं चलाना चाहिए। लोकतंत्रमें लोककल्याणसे भरे सरकारका यह दायित्व हैं कि अपने नागरिकोंके प्रति संवेदनशील रहे और उनकी आर्थिक प्रगतिको लेकर कहीं अधिक उदार रहें। साथ ही इंस्पेक्टर राजको कम करनेका प्रयास करे। परन्तु जुर्मानेकी राशि देखकर थोड़ी आशंका बढ़ जाती हैं। फिलहाल नये ट्रैफिक नियममें दर्जनभरसे अधिक प्रकारके जुर्मानेकी फैहरिस्त है जो पांच सौसे लेकर २५ हजार रुपयेतककी देखी जा सकती है। देखा जाये तो सरकार और प्रशासनको केवल चालान काटनेके लिए ही नहीं आतुर रहना चाहिए, बल्कि एक अच्छे नीयतके साथ लोगोंको ट्रैफिक चेतना भी बांटनी चाहिए। व्यापक पैमानेपर वाहन चालक चेतना मूलक बने इसकी जवाबदेही जनताके साथ प्रशासनकी भी तय होनी चाहिए। जनता जनाधिकार रखती हैं इस नाते उसका शोषण करनेकी बजाय नियम संगत विधाको ही रोपित किया जाना चाहिए और आर्थिक भारसे इतना न लादें कि उसका जीवन ही दूभर हो जाये।

> **लोकतंत्रमें सरकारका यह दायित्व है कि अपने नागरिकोंके प्रति संवेदनशील रहे और उनकी आर्थिक प्रगतिको लेकर अधिक उदार हो साथ ही इंस्पेक्टर राजको कम करनेका प्रयास करे। परन्तु जुर्मानेकी राशि देखकर थोड़ी आशंका बढ़ जाती हैं। फिलहाल नये ट्रैफिक नियममें दर्जनभरसे अधिक प्रकारके जुर्मानेकी फैहरिस्त है जो पांच सौसे लेकर २५ हजार रुपयेतककी देखी जा सकती है। वाहन चालक चेतना मूलक बने इसकी जवाबदेही जनताके साथ प्रशासनकी भी तय होनी चाहिए। नियम तर्कसंगत हो ताकि आर्थिक भारसे जीवन ही न दूभर हो जाये।**

हिन्दी की दुर्दशा के जिम्मेदार

कठिन परिस्थितियों और सामाजिक ताने-बानेके वातावरणसे प्रभाव ग्रहणकर परिर्वतनको न स्वीकार करने वाली भाषा अक्सर अक्षम और अव्यवहार्य होकर मृत बन जाती है। हिंदीके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है।

❒ रमेश ठाकुर

हिंदी भाषाकी मौजूदा दुर्दशाका सबसे बड़ा कारण हिन्दी समाज है। उसका पाखंड है और उसका उनींदापन है। सच है कि किसी संस्कृतिकी उन्नति उसके समाजकी तरक्कीका आईना होती है। परन्तु इस मायनेमें हिन्दी समाज बड़ा विरोधाभाषी है। हिन्दी समाज यदि देशके पिछड़े समाजोंका बड़ा हिस्सा निर्मित करता है तो यह भी सही है कि देशके समृध्द तबकेका भी बड़ा हिस्सा हिन्दी समाज ही है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि आज यह भाषा समाजकी उपेक्षाका दंश झेल रही है। धनाढ्य और विकसित वर्गकी आबादीने जबसे हिन्दी भाषाको नकारा है और अंग्रेजीको संपर्क भाषाके तौरपर अपनाया है? कमोबेश, तभीसे हिन्दीके सामने मुस्किलें खड़ी हो गयी हैं। वैश्वीकरण और उदारीकरणके मौजूदा दौरमें हिन्दी तेजीसे पिछड़ रही है। हिन्दी दिवसके अवसरपर कई जगहोंपर कार्यक्रम आयोजित होंगे। मंचासीन लोग गला फाड़-फाड़ कर हिन्दीकी रहनुमाई करेंगे और हिन्दीकी रक्षाके लिए छाती पीटेंगे। लेकिन असल सचाई देखें तो इन्हींके बच्चे हिन्दीकी जगह अंग्रेजी स्कूलोंमें पढ़ते हैं। ऐसे लोगोंने ही हिन्दीका मजाक बना डाला है। हिन्दीकी दुर्दशाका नतीजा हमारे सामने है। हिन्दीकी लाज यदि किसीने बचा रखी है तो वह है ग्रामीण आबादी। क्योंकि वहां आज भी इस भाषाको ही पूजते और बोलते हैं। वह आज भी हिन्दीके अलावा दूसरी भाषाओंको ज्यादा तवज्जों नहीं देते? उन्हींकी देन है कि हिन्दी अपने दमपर शुरूसे आजतक अपनी जगह यथावत है। इसमें धनाढ्य लोगोंका रत्तीभर सहयोग नहीं है। इस बातको कोई नकार नहीं सकता कि शताब्दियोंसे अखिल भारतीय स्तरपर सांस्कृतिक और भावनाात्मक एकताको सुदृढ़ सिर्फ हिन्दीने अपने व्यापक प्रभारसे ही किया है। समूचे जगतमें हिन्दी ही एक ऐसी मात्र भाषा है जो बोलनेमें मीठी और समझनेमें सरल मानी जाती है।

तुलनात्मक रूपसे देंखे तो गोरे लोग हिन्दीको बोलनेमें गर्व समझते हैं। परन्तु वहीं कुछ हिन्दुस्तानी हिन्दीकी जगह अंग्रेजी बोलनेमें अपनी शान समझते हैं। इसीका नतीजा है कि हमारे यहां किसी भी निजी या सरकारी ऑफिसोंके स्वागत कक्षमें बैठनेवालोंको अंग्रेजी आनी चाहिए। स्वागत कक्षके लिए हिन्दी बोलनेवालोंको इसलिए नहीं रखा जाता कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती। जबकि आम लोगोंके लिए स्वागत कक्ष ही संपर्कका सबसे बड़ा साधन होता है। बात २०१४ की है जब केन्द्रमें नरेंद्र मोदी सरकारका उदय हुआ तो उसके तुरन्त बाद ही उनकी तरफसे सभी मंत्रालयोंमें बोलचाल एवं पठन-पाठनमें हिन्दीके प्रयोगका फरमान जारी किया गया। लेकिन कुछ समय बाद उनकी मुहिम भी फीकी पड़ गयी। पिछले एक दशकमें हिन्दीको बचाने और उसके प्रसारके लिए कई तरहके वादे किये गये। परन्तु सचाई यह है कि हिन्दीकी दिन-प्रतिदिन दुर्गती हो रही है। आजादीसे अबतक तकरीबन सभी पूर्ववर्ती हुकूमतोंने हिन्दीके साथ अन्याय किया है। सरकारोंने पहले हिन्दीको राष्ट्रभाषा माना, फिर राजभाषाका दर्जा दिया और अब इसे संपर्क भाषा भी नहीं रहने दिया है। हिन्दीको लेकर कुछ गलत भ्रांतियां भी फैल गयी हैं। हिन्दीकी वकालत करनेवाले मानने लगे हैं कि शुद्ध हिन्दी बोलनेवालोंको गंवार कहा जाता है। बड़ी-बड़ी कंपनियोंमें हिन्दी जुबानी लोगोंके लिए नौकरी नहीं होती। इसी बदलावके चलते मौजूदा वक्तमें देशका हर दूसरा आदमी अपने बच्चोंको अंग्रेजी माध्यमके स्कूलोंमें पढ़ानेको मजबूर हो गया है। यदि ऐसा ही रहा तो वह दिन दूर नहीं, जब दूसरी भाषाओंकी तरह हिन्दी भाषाको बचानेके लिए भी एक जनान्दोलनकी जरूरत पड़ेगी। सरकारें माने या न माने लेकिन हिन्दीके समक्ष उसके वर्चस्वको बचानेकी सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गयी है।

इस सचाईको हम कितना भी क्यों न दबायें, लेकिन यह पूर्ण सचाई है कि हिन्दी बोलनेवालोंकी गिनती अब पिछड़ेपनमें ही होती है। अंग्रेजी भाषाके चलनके चलते आज हिन्दुस्तानभरमें बोली जानेवाली हजारों राज्य भाषाओंका अंत हो गया है। हर अभिभावक अपने बच्चोंको हिन्दीके जगह अंग्रेजी सीखनेकी सलाह देता है। इसलिए वह अपने बच्चोंको सरकारी स्कूलोंमें दाखिला न दिलाकर, अंग्रेजी पढ़ानेवाले स्कूलोंमें पढ़ा रहे हैं। दरअसल इनमें उनका भी दोष नहीं है क्योंकि अब ठेठ हिन्दी बोलनेवालोंको रोजगार भी आसानीसे नहीं मिलता है। हिन्दी बोलनेवाले अंतिम छोरपर खड़े हो रहे हैं। हिन्दीका ऐसा हाल तब है जब पूरे हिन्दुस्तानमें छोटे-बड़े दैनिक, सप्ताहिक और अन्य समयाविधिवाले करीब पांच हजारसे भी ज्यादा अखबार प्रकाशित होते हों। १५०० के करीब पत्रिकाएं हैं, १३२ से ज्यादा हिन्दी चैनल हैं, के बावजूद भी हिन्दी लगातार पिछड़ रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि सरकारें इस भाषाके प्रति ज्यादा गंभीर नहीं रहीं। इसलिए हिन्दी आज अंतिम छोरपर पहुंच गयी है। लोग इस भाषाको गुलामीकी भाषाकी संज्ञा करार देते हैं। हिन्दी महज अब कामगारोंकी भाषातक ही सिमटकर रह गयी। सवाल उठता है आखिर क्यों इसे नौकरशाह, शासकों, संपन्न लोगोंकी भाषा नहीं माना जा रहा है। मुल्ककी आजादीके सत्तर सालके भीतर जितनी दुर्दशा इस जुबानकी हुई है उतनी किसीकी भी नहीं हुई। हालात ऐसे ही रहे तो हिन्दीको बचानेके लिए भी जनांदोलन करना पड़ेगा। उसके लिए किसी एकको बहुत बड़ा किरदार निभाना पड़ेगा। मौजूदा वक्तमें देशके करोड़ों छात्र जो आईआईटी, तकनीकी, बिजनेस और मेडिकलकी पढ़ाई कर रहे हैं, वह हिन्दी भाषासे लगभग दूर हो गये हैं। उनके पाठ्यक्रमोंसे हिन्दी पूरी तरहसे नदारद है। जबकि विदेशोंमें कई कालेजोंमें अब हिन्दी पढ़ाई जाती है।

मनुष्यत्व

❒ मुकेश ऋषि

मनुष्यका शरीर तो सहज ही प्राप्त होता है, परन्तु मनुष्यत्वको पाना सहज नहीं है। इसके लिए कठिन संघर्ष करते हुए सदा ही सत्कर्म करनेमें संलग्न रहना पड़ता है। मनुष्यत्वके अभावमें मनुष्य पग-पगपर अपमानका शिकार होता है और दर-दरकी ठोंकरें खाता रहता है। ठोकर खाकर भी व्यक्ति संभल नहीं पाता है। यदि मनुष्य संभल-संवर जाता है तो चेतन तत्वके जागरणसे, वह मनुष्य भगवानकी राह चलकर महान बन पाता है। मनुष्यत्वसे ही संस्कृति जीवित और सुरक्षित रहती है। मनुष्यत्वके कारण ही व्यक्ति धरतीपर भगवान कहलानेका अधिकारी बन पाता है। मनुष्यत्वके कारण ही व्यक्ति देवताकी तरह जीवन जीनेका तरीका जान पाता है। मनुष्यत्वके अभावमें सर्वत्र असुरताका साम्राज्य कायम हो जाता है। आकृतिसे मनुष्यपर प्रकृतिसे असुर-पशुकी स्थिति बनी रहती है। नैतिकताके अभावमें स्वभाव असुरका बन जाता है। जहां-तहां अन्याय, अत्याचार, लूटपाट, हत्या, आतंक, चोरी, बेइमानी, दुख, अशांतिका वातावरण बनता चला जाता है। मनुष्यत्वके अभावके कारण ही असुरत्वकी वृद्धि होती है। मनुष्यत्व ही राम और कृष्ण है। मनुष्यत्वके आनेसे ही व्यक्ति परमात्मा स्वरूप बन जाता है। इसके अभावमें वह मनुष्य राक्षसकी भांति है। जबतक मस्तिष्कमें जड़ताका समावेश होता है, मनुष्यकी बुद्धि खोटी बनी रहती है और वह सिर्फ भूख-प्यासको मिटानेतक सीमित रहता है। मानवतासे उसका कोई खास वास्ता नहीं रहता है। गोस्वामी तुलसीदासके अनुसार यह जीवन बड़े भाग्यसे करोड़ों वर्षके पश्चात् जनम-जनमके पुण्य फल और प्रभु कृपासे प्राप्त होती है और चेतन तत्वके अभावमें यह मनुष्य समस्त ऋद्धि-सिद्धिका स्वामी होते हुए भी जड़ताके कारण मूढ़ बनकर मृगाकी भांति कामनाओं-वासनाओंका शिकार होकर वन-वनमें ठोकर खाता भटकता है और कालके गालमें चला जाता है तथा जीवनके असली स्वरूप और सत्यको समझनेसे वंचित रह जाता है। मनुष्यत्व पाकर व्यक्ति प्रभुसे प्रीति करनेमें जीवन उन्हींके चरणोंमें समर्पित कर देता है। तेरा तुझको अर्पण मेरा क्या लागे। यही मनुष्यका गुण कहा गया है। सब उसी परमात्माका है, इसी भावके कारण जीवनके सब बंधन समाप्त होते हैं और मनुष्यको प्रभु अपने गलेका हार बना लेते हैं। मनुष्यत्व पाना जीवनका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होना अनिवार्य है। इसके बिना जीवनकी सार्थकता सिद्ध नहीं हो सकती है। मनुष्यत्व ही ईश्वरत्व, कृष्णत्व, रामत्व पानेका जरिया है। मनुष्यत्वके कारण ही मान-सम्मान, गौरव प्राप्त होता है। अहमियत बनती है। प्रेम बढ़ता है। तभी ईश्वरत्वको प्राप्त करते हैं।

भारत-रूस सम्बन्धों का व्यापक दायरा

❒ विकेश कुमार बडोला

परमाणु अस्त्रोंके गुप्त परीक्षणों, आतंक और अमानवीय व्यापारिक प्रतिस्पर्द्धाओंसे घिरे विश्वमें दो शक्तिशाली राष्ट्रोंकी मित्रताका बहुत महत्व है। दो देशोंकी ऐसी संधि राष्ट्रीय स्वायत्तताओं, अंतरराष्ट्रीय संबंधों, नागरिक दायित्वों और वैश्विक व्यापारको शांतिपूर्ण वातावरणमें आगे बढ़ानेके लिए हर दृष्टिसे उत्तम होती है। भारत और रूसके मैत्रीपूर्ण संबंध अनेक प्रकारसे असुरक्षित वर्तमान वैश्विक वातावरणमें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सुरक्षाका बोध कराते हैं। हालमें रूसमें संपन्न भारत-रूसका २०वां वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशोंके संबंधोंकी प्रगाढ़ता, विश्वसनीयता और आत्मीयताका सुखद उदाहरण बना। सम्मेलनमें नरेन्द्र मोदी तथा व्लादिमीर पुतिनकी उपस्थितिमें दोनों देशोंके बीच १३ बड़े अनुबंध हुए। इस अवसरपर दोनों देशोंने तेल और प्राकृतिक गैस, खनन, रक्षा-सुरक्षा, नभ और समुद्री सुरक्षाके लिए नवोन्नत प्रौद्योगिकी आधारित सम्पर्क, अंतरिक्ष अनुसंधान, नाभिकीय ऊर्जा, परिवहन संरचना, व्यापार और निवेशके विषयोंपर गहन मंत्रणा की। रूसी रक्षा उपकरणोंके पाट्र्सका निर्माण दोनों देशोंके संयुक्त उद्यमों द्वारा किये जानेको लेकर हुआ समझौता इस सम्मेलनका महत्वपूर्ण समझौता है। इससे मेक इन इंडियाकी धारणाको अंतिम व्यवहार बनानेमें बल मिलेगा। इसके अलावा इस अवसरपर रूसी शहर व्लादिवोस्तोक और चेन्नईके मध्य एक समुद्री मार्ग तैयार किये जानेका प्रस्ताव रखा गया। संभवत: इसी आलोकमें इस बार पुतिनने मोदीको रूस द्वारा आयोजित किये जानेवाले ईईएफके पांचवें सम्मेलनमें मुख्य अतिथिके रूपमें आमंत्रित किया था। पहले जी-७ और अब भारत-रूसके २०वें वार्षिक मंचसे मोदीने पाकिस्तान सहित पूरी दुनियाको स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत और रूस ऐसे देश हैं जो किसी देशके आन्तरिक कार्योंमें हस्तक्षेप नहीं करते। रूसकी धरतीसे ऐसा संबोधन पाकिस्तान और चीन जैसे देशोंको अप्रत्यक्ष संदेश है कि वह अंतरराष्ट्रीय संस्थाओंकी आड़ लेकर दूसरे देशके आंतरिक कार्यों विवादोंमें कोई स्वार्थपोषित हित देखनेकी गलती न करें। पाकिस्तानके विरुद्ध कूटनीतिकी धार तेज करनेके लिए मोदीने ईईएफमें उपस्थित जापान, मलयेशिया जैसे राष्ट्रोंके प्रमुखोंसे द्विपक्षीय वार्ताएं की। मलयेशियाके राष्ट्रपतिसे भेंटके समय मोदीने जाकिर नाईकके प्रत्यर्पणके बारेमें गम्भीर चर्चा की।

समुद्र तटीय शहर व्लादिवोस्तोकमें आयोजित पांचवें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम (ईईएफ) के मुख्य अतिथिके रूपमें मोदीने रूसके इस प्रयासकी सराहना की कि वह सुदूर स्थित इस पूर्वी रूसी भूभागको क्षेत्रीय सहयोग, संतुलन और शांतिके साथ तेजीसे एक व्यापारिक स्थलमें परिवर्तित कर रहे हैं। मोदीके अनुसार भारत सरकार एक्ट ईस्ट मिशनपर काम कर रही है और इससे हमारी आर्थिक कूटनीतिको भी सफल बढ़त मिलेगी। उन्होंने ईईएफके उद्देश्योंकी प्राप्तिके लिए एक बिलियन अमेरिकी डॉलरके ऋण देनेकी घोषणा भी की। पिछले चार वर्षोंमें ईईएफके उद्देश्योंकी प्राप्तिमें अपने आर्थिक और प्रौद्योगिकीय सहयोगसे चीन, जापान, दक्षिण कोरियाने बड़ी भूमिकाका निर्वाह किया है। इससे रूसके सुदूर पूर्वी तटपर बसे व्लादिवोस्तोकके विकास और इसके आधारपर संपूर्ण पूर्वी क्षेत्रके संतुलित विकासके लिए एक विश्वस्तरीय सहयोग और समन्वयनके चिह्न दिखने लगे हैं। भारतका ईईएफसे जुड़ना इसी कड़ीका अनुसरण है। ईईएफका आयोजन रूस पिछले चार वर्षोंसे कर रहा है। रूसके व्लादिवोस्तोकमें प्रतिवर्ष आयोजित होनेवाला ईईएफ एक अंतरराष्ट्रीय मंच है। इसका मूल उद्देश्य रूसके सुदूर पूर्वमें विदेशी निवेशको प्रोत्साहित करना है। परस्पर व्यापार, निवेशके लिए जापान और रूस आरंभसे ही ईईएफपर जागरूकता दिखाते आये हैं। सुदूर पूर्वके इस आर्थिक मंचका प्रायोजन रॉसकांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोजन समिति द्वारा किया जाता है। रॉसकांग्रेस रूसी सरकारका एक महत्वपूर्ण संघ है, जो ईईएफ ही नहीं, बल्कि अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचोंको भी प्रायोजित करता है। इसमें सेंट पीटर्सबर्ग अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंच भी शामिल है। ईईएफ विशुद्ध रूपसे रूसी व्यावसायिक मंच है। रूस राष्ट्रपति अपनी व्यापारिक प्राथमिकताओंके अनुसार ही अन्य देशोंके राष्ट्र प्रमुखोंको ईईएफके वार्षिक आयोजनमें आमंत्रित करते हैं।

भारतमें चाहे किसी भी राजनीतिक दलका शासन रहा हो परन्तु रूस ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामरिक और अंतरिक्ष अनुसंधानके क्षेत्रमें हमेशासे भारतका प्रथम सहयोगी बना रहा। इस बंधनको मोदी सरकारने और ज्यादा सुदढ़ किया है। परिणामस्वरूप कई क्षेत्रोंमें दोनों देशोंका परंपरागत सहयोग आधुनिक व्यवस्थाके अनुरूप नवाचारमें ढल चुका है, जो विकास कार्योंमें गुणात्मक परिणामका कारक बन रहा है। यही सोचकर रूसने भारतीय प्रधान मंत्री मोदीको अपने देशका सर्वोच्च सम्मान 'ऑर्डर आफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल' देनेकी घोषणा की है। जब देशमें अर्थव्यवस्थाका संक्रमणकाल चल रहा है और इस कारण कुछ विशेष क्षेत्रोंमें मंदी व्याप्त है तो उसी समयावधिमें प्रधान मंत्री मोदीका पूर्वी आर्थिक मंचमें हिस्सा लेने रूस पहुंचना विदेश नीति, अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिके हिसाबसे तो देशहितमें है ही साथ ही अर्थव्यवस्थाको स्थिरता प्रदान करनेके लिए इस मंचसे कुछ उपयोगी नीतियां भी भारतके हितमें हो सकती हैं। रूसके साथ भारतके द्विपक्षीय संबंध सदैव मधुर रहे हैं। रूसने दक्षिण एशिया, मध्य-पूर्व एशिया सहित ईरान, अमेरिका, चीन, पाकिस्तानके साथ भारतके अनेक मामलोंको सुलझानेमें विशेष कूटनीतिक भागीदार निभायी है। जहांतक भारत-रूसके बीच व्यापारके आंकड़ोंकी बात है तो बेशक यह आंकड़े कुछ क्षेत्रोंमें अमेरिका, दुबई और इसरायलसे नीचे हैं, परन्तु सामरिक और अंतरिक्ष क्षेत्रमें दोनों देशोंका सहयोग व्यापक है।

दिसंबर २०१४ में दोनों देशोंने एक व्यापारिक लक्ष्य निर्धारित किया। इसके अनुसार वह सन् २०२५ तक द्विपक्षीय व्यापारको ३० बिलियन अमेरिकी डालरतक पहुंचायंगे। २०१७ में रूस द्वारा भारतमें किया गया कुल निवेश १८ बिलियन और रूसमें भारतका कुल निवेश १३ बिलियन अमेरिकी डालर मूल्यका था। इस प्रकार देखें तो २०२५ तक ३० बिलियन अमेरिकी डालरके द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्यको दोनों देशों द्वारा आठ वर्ष पहले ही प्राप्त किया जा चुका है। सेंट्रल बैंक ऑफ रसियाके आंकड़ोंके अनुसार २०१७-१८ में दोनों देशोंका द्विपक्षीय व्यापार १०.६९ बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि २०१६-१७ की तुलनामें २१.३ प्रतिशत अधिक था। इसमें रूस द्वारा भारतको निर्यातित ८.६ बिलियन डालर और भारत द्वारा रूसको निर्यातित २.१ बिलियन अमेरिकी डालरका व्यापार शामिल है। सेंट्रल बैंक आफ रसियाके ही आंकड़ें स्पष्ट करते हैं कि २०१७ में ५८४.१ बिलियन अमेरिकी डालरके रूसी वैश्विक व्यापारमें भारतका हिस्सा १.६ प्रतिशत था। इसी तरह रूसके वैश्विक कुल निर्यात और कुल आयातमें भारतका हिस्सा क्रमश: १.८ और १.३ प्रतिशत था। २०१८-१९ (अप्रैल-अगस्त) की समयावधिमें द्विपक्षीय व्यवसाय ३.३ बिलियन अमेरिकी डालरका था। इसमें भारतमें हुआ रूसका निर्यात जहां २.३ बिलियन अमेरिकी डालरका था वहीं भारत द्वारा रूसको हुआ निर्यात मूल्य ९५१ मिलियन अमेरिकी डालर था। रक्षा क्षेत्रमें दोनों देशोंका सहयोग बहुत व्यापक है। इसीके परिणामस्वरूप भारतमें ब्रह्मोस मिसाइल प्रणालीके साथ एसयू-३० एयरक्राफ्ट और टी-९ टैंकोंका आयात और आंशिक उत्पादन आरम्भ हो पाया। पिछले वर्ष १९वीं द्विपक्षीय वार्षिक बैठकमें भारतको एस-४०० एयर डिफेंस सिस्टमकी आपूर्तिपर दोनों पक्षोंने हस्ताक्षर किये थे। एस-४०० को लेकर अमेरिकाने आपत्ति उठायी। परन्तु भारतने रूससे अपने दशकों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंधोंके आधारपर अमेरिकी आपत्तिको वरीयता नहीं दी। अंतरिक्षमें सहयोगसे लेकर भारतमें नाभिकीय रिएक्टर लगाने और भारतीय सांस्कृतिक, शैक्षिक विरासतको सम्मान देनेकी अंतर्दृष्टि रूसके पास स्वाभाविक रूपमें विद्यमान है।